न्यायालय नायब तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण सं0 37/2022 तारीख दायर :—12.05.2022 दिनांक निर्णय :—27.06.2022

सरकार जरिये पटवारी हल्का भजेड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर

UCMS 2022/30

बनाम

1.गुलजारी पुत्र लल्लूराम जाति माली निवासी भोली वालों का बास कोराठ तहसील राजगढ़ अलवर
2.गिर्राज पुत्र लल्लूराम जाति माली निवासी भोली वालों का बास कोराठ तहसील राजगढ़ अलवर
3.पप्पूराम पुत्र लल्लूराम जाति माली निवासी भोली वालों का बास कोराठ तहसील राजगढ़ अलवर

<u>अन्तर्गत राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91</u>

आज पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का सक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का भजेड़ा द्वारा राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई की गैरसायल गुलजारी, गिर्राज व पप्पूराम पुत्रान लल्लूराम जाति माली निवासी भोली वालों का बास करोठ तहसील राजगढ़ जिला अलवर के द्वारा ग्राम भजेडा के राजकीय सिवायचक गैर मुमकिन सड़क सार्वजनिक निमार्ण विभाग(पीडब्लूडी) आ0ख0न0 343/593 रकबा 0.04 में से 0.01 है0 भूमि पर सम्वत् 2079 में मिटटी डालकार अतिक्रमण कर लिया है।

प्रकरण राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को नोटिस जारी किया गया। गैरसायलान गुलजारी, गिर्राज व पप्पूराम उपस्थित आया। गैरसायलान की ओर से एडवोकेट भरतलाल मीना द्वारा वकालतनामा पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। गैरसायलान द्वारा जवाब व दस्तावेजात दिनांक 24.06.2022 को पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। गैरसायलान द्वारा प्रस्तुत नोटिस जवाब व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया जिसमें गैरसायलान द्वारा लल्लूराम बनाम कजोड़ न्यायालय सिविल न्यायाधीश महोदय, राजगढ़ में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 19.11.2013 की छायाप्रति पेश की जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त गैर मुमकिन सड़क के ख0न0 343/593 रकबा 0.01 हे0 से गैरसायलान का कोई स्वामित्व व अधिकार एंव सरोकार नहीं है। पटवारी हल्का रिपोर्ट एवं मौका रिपोर्ट दिनांक 06.05.2022 के अनुसार गैरसायल द्वारा मिटटी डालकर गैर मु0 सड़क की भूमि पर अतिक्रमण किया है।

राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत गैरसायल गुलजारी, गिर्राज व पप्पूराम पुत्रान लल्लूराम जाति माली निवासी भोली वालों का बास करोठ तहसील राजगढ़ जिला अलवर काबिल बेदखली है। गैरसायल के विरूद्ध शरह लगान की 1.00 की 50 गुणा में राशि 50.00/—रूपये पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। पटवारी हल्का भजेडा को आदेश दिये जाते है कि अतिक्रमी को बेदखली कर पालना रिपोर्ट से अवगत करावे। तहसील राजस्व लेखाकार तहसील हाजा व पटवारी हल्का भजेड़ा को राजस्व लेखों में पेनल्टी राशि की मांग कायमी हेतु लिखा जावे।

निर्णय दिनांक 27.06.2022 खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(गिर्राज प्रसाद मीना)
नायब तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर